लघु उद्योग
तथा
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज

(श्री महावीर प्रसाद, मंत्री, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2007 को लोकसभा में की गई घोषणा - मंत्री महोदय ने 2 मार्च, 2007 को राज्य सभा में भी इस आशय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया)

1. प्रस्तावना

1. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में अंतर्निहित शासन के छ: मौलिक सिद्धान्तों में निरन्तर "आर्थिक विकास को इस ढंग से बनाए रखा जाना कि वह रोज़गार का सृजन करे" - को गर्व का स्थान प्राप्त है। एन.सी.एम.पी. में भी लघु उद्योगों को "सबसे अधिक रोजगार गहन क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया गया है।

2. यह वास्तव में ऐसा ही है। भारत में स्थापित लघु उद्योगों (जिनमें सूक्ष्म व लघु सेवा तथा व्यवसाय उद्यम भी शामिल हैं) द्वारा रोज़गारोन्मुखी व सम्पूर्ण देश में फैलाव के कारण (जनसंख्या के सभी वर्गों का) समावेश करने वाले आर्थिक विकास के संवर्धन का लम्बा इतिहास है। दसवीं योजना (2002-03) की शुरूआत में इस क्षेत्र ने व्यापक विविधता की वस्तुओं के विनिर्माण और सेवाएं प्रदान करने वाली 10.5 मिलियन इकाइयों के माध्यम से देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 24.9 मिलियन लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान किया है। अगले चार वर्षों में (2005-06 तक), वे बढ़कर 12.3 मिलियन इकाइयां हो गई हैं जिनसे 29.5 मिलियन लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। यह इन इकाइयों की संख्या में 4.33 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि दर तथा, इससे बढ़कर महत्वपूर्ण, रोजगार में 4.57 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यदि खादी, ग्रामोद्योग तथा कॅयर उद्योग की इकाईयों को भी गिन लिया जाए तो रोजगार 332 मिलियन से अधिक हो जाता है। अत: यह ठीक ही कहा गया है कि कृषि के उपरान्त यही क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोज़गार प्रदान करता है। सामान्य विश्लेषण दर्शाता है कि इस क्षेत्र (पंजीकृत भाग) की रोजगार गहनता नियत परिसम्पत्तियों में प्रत्येक 1.49 लाख रूपये के निवेश पर 1 व्यक्ति है जबकि इसकी तुलना में बड़े संगठित क्षेत्र में यह प्रति 5.56 लाख रुपये पर 1 व्यक्ति है। साथ ही इस क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर भारत की जनसंख्या (1.5 प्रतिशत) से या बड़े उद्योग क्षेत्र (0.85 प्रतिशत) से कहीं अधिक है।

3. देश के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। सकल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 39 प्रतिशत तथा भारत के निर्यातों का 34 प्रतिशत इन उद्यमों से प्राप्त होता है। दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में 8.87 प्रतिशत वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इनके द्वारा विनिर्मित छह हजार से अधिक उत्पादों में अनेक परिष्कृत मदें हैं जिनका प्रयोग उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे कि परमाणु उर्जा, मिसाईल तथा अन्तरिक्ष कार्यक्रमों, सूचना प्रौद्योगिकी,

बायोटेक्नालाजी, इत्यादि में होता है। इस क्षेत्र का निर्यात स्तर भी विश्व बाजार में इसकी समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रमाणित करता है।

4. फिर भी, यह क्षेत्र एकरूप नहीं है तथा बहुसंख्यक इकाइयों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार उदारीकरण से सृजित बढ़े हुए सुअवसरों का लाभ उठाते हुए उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, न केवल एक उपयुक्त नीति वातावरण तैयार करना, बल्कि निरन्तर चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट उपायों से इनको अनुपूरित करना भी आवश्यक है। अत:, एन.सी.एम.पी. में घोषणा की गई है कि इस क्षेत्र के लिए एक "बड़े संवर्धनात्मक पैकेज" की घोषणा की जाएगी ताकि इसे ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन तथा प्रमुख औद्योगिक समूहों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में पूर्ण सहायता प्रदान की जा सके।

II <u>हाल ही की पहलें</u>

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमन से, सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र द्वारा लम्बे अर्से से महसूस तथा स्पष्ट बताई जा रही आवश्यकताओं में से एक की पूर्ति कर दी है। यह अधिनियम इन उद्यमों के संवर्धन तथा विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि में मदद करना चाहता है। यह "उद्यम" (विनिर्माण तथा सेवाएं दोनों सहित) की अवधारणा की मान्यता तथा इन उद्यमों की तीनों श्रेणियों यानि, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम के एकीकरण के संबंध में पहली बार एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। प्रत्येक श्रेणी के उद्यमों की, विशेष तौर से लघु उद्यम के स्पष्ट तथा अधिक प्रगतिशील वर्गीकरण के अलावा इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर सांविधिक परामर्शी तंत्र, जिसमें स्टेकहोल्डर्स के सभी वर्गों को विशेषतौर पर उद्यमों की तीनों श्रेणियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, तथा व्यापक परामर्शी कार्य श्रृंखला का प्रावधान है। इन उद्यमों के संवर्धन, विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, इस प्रयोजन के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील क्रेडिट नीतियां, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में सरकारी अधिप्राप्ति में वरीयता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की विलम्बित अदायगियों की समस्या को कम करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र तथा सभी तीन श्रेणियों के उद्यमों द्वारा व्यापार को बन्द करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण इस विधान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

2. सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्यमों को ऋण के बढ़ाने के लिए नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण प्रवाह में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि को सुनिश्चित किया गया है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जिससे इससे लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है।

III संवर्धनात्मक पैकेज

एनसीएमपी में आश्वासन की पूर्ति के संबंध में निम्नोक्त पैकेज अब घोषित किया जाता है।

1. विधान

1.1 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि में सहायता की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 हाल ही में पारित किया गया है। सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के गहन सहयोग से इस विधान को प्रभावी रूप से तथा शीघ्रता से कार्यान्वित करेगी।

1.2 सरकार शीघ्र ही सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में एक कानून लागू करेगी जिसमें अन्यों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम भी शामिल होंगे ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्यमों में इक्विटी के समावेश तथा जोखिम पूंजी निधिकरण में मदद की जा सके।

2. ऋण सहायता

2.1 लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि एसएमई को ऋण में वर्ष दर वर्ष 20% की वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उक्त नीतिगत पैकेज के अन्य तत्वों के प्रचालन के संबंध में कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी आरबीआई तथा सरकार द्वारा की जाएगी।

2.2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रचालनों को बढ़ाएगा तथा सुदृढ़ करेगा और वर्ष 2006-07 से शुरू करके पांच वर्षों में 50 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को कवर करेगा। सरकार इस प्रयोजन हेतु सिडबी को अनुदान प्रदान करेगी ताकि सिडबी के पोर्टफोलियो जोखिम निधि को बढ़ाया जा सके।

2.3 सरकार सिडबी को अनुदान भी प्रदान करेगी ताकि वह जोखिम पूंजी निधि (वर्ष 2006-07 के लिए पायलट स्कीम के रूप में) का सृजन करने में सक्षम हो सके और वह सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थों के माध्यम से, मांग आधारित लघु ऋण प्रदान कर सके।

2.4 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम एस ई) के और अधिक क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से 2006-07 से आरंभ करके 2 वर्षों में शाखाओं की संख्या 56 से बढ़ाकर 100 करके सिडबी के प्रत्यक्ष निधिकरण प्रचालनों का विस्तार किया जाएगा।

2.5.1 क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम के तहत पात्र ऋण सीमा को 50 लाख रू. तक बढ़ाया जाएगा। 5 लाख रू. तक के ऋणों के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारन्टी कवर को 75% से बढ़ाकर 80% किया जाएगा। तद्नुसार, क्रेडिट गारन्टी फण्ड का सुदृढ़ करने के लिए फण्ड के कोपर्स को, जोकि 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति अनुसार 1189 करोड़ रू. है, को पांच वर्षों की अवधि में 2500 करोड़ रूपये किया जाएगा (सरकार तथा सिडबी के मौजूदा 4:1 के अनुपात में अंशदान द्वारा)।

2.5.2 इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को फंड की समग्र निधि में योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, निधि में उनके योगदानों को आय कर उद्देश्यों हेतु घटाने की अनुमति देने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

2.5.3 फण्ड का अनुरक्षण तथा प्रबन्धन लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई) द्वारा जारी रखा जाएगा। ट्रस्ट को "सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट" के रूप में पुन: नामित किया जाएगा।

3. राजकोषीय सहायता

भारत सरकार सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत लघु विनिर्माण उद्यमों की नई परिभाषा शामिल है, निम्नोक्त संभावनाओं की जांच करेगी:

3.1 सामान्य उत्पाद शुल्क (जीईई) सीमा एवं जीईई के लिए विद्यमान पात्रता सीमा को बढ़ाना;

3.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाना;

3.3 लघु उद्यमों के मध्यम उद्यमों में क्रमिक विकास के लिए एक सीमित अवधि के लिए जीईई लाभों को बढ़ाना।

4. क्लस्टर आधारित विकास के लिए सहायता

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लॅस्टरों के व्यापक एवं तीव्र विकास के लिए लघु उद्योग क्लॅस्टर विकास कार्यक्रम के विद्यमान मार्गनिर्देशों (एस आई सी डी पी-जिसे "माइक्रो एवं लघु उद्यम क्लॅस्टर विकास कार्यक्रम" का नया नाम दिया जाना है) की 2006-07 के दौरान समीक्षा की जाएगी ताकि सामान्य सुविधा केंद्रों, उद्यमों के लिए विकसित स्थलों, विद्यमान औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयनीकरण तथा प्रदर्शनी स्थलों/हाल के प्रावधान तथा सार्वजनिक-निजी

भागीदारी ढंग में अवसंरचना सम्बन्धी परिसम्पत्तियों के सृजन एवं प्रबन्ध के प्रावधान सहित क्लॅस्टरों के सर्वांगीण विकास को गति दिए जाने की समीक्षा की जा सके। परियोजना लागत पर सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रू. किया जाएगा।

5. प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता

5.1 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन व विकास के लिए पहचाने गए (विद्यमान) लघु उद्योग सेवा संस्थानों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए चार प्रशिक्षण व उत्पाद विकास केंद्र (टीपीडीसी) स्थापित किए जाएंगे।

5.2 विद्यमान केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थानों (सी एफ टी आई) (चेन्नई एवं आगरा में) को अपनी पहुंच का विस्तार करने में सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा।

5.3 वर्टिकल शैफ्ट ब्रिक किल्न (वी एस बी के) प्रौद्योगिकी का संवर्धन किया जाएगा, ताकि ब्रिक्स के विनिर्माण में लगी हुई एम एस ई द्वारा इन्हें अपनाया जा सके और वे ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल बन सकें। इसके लिए ब्रिक विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एक-बार की पूंजीगत सब्सिडी (लागत के 30 प्रतिशत अथवा 2 लाख रू. तक, इसमें जो भी कम हो, सीमित होगी) प्रदान की जाएगी।

5.4 एम एस ई द्वारा विनिर्मित बिजली के पम्पों एवं मोटरों में ऊर्जा कुशलता का संवर्धन किए जाने की दृष्टि से विस्तृत तकनीकी अध्ययन के बाद सहायता का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

5.5 आईएसओ 9000 और 14001 मानकों की प्राप्ति में सहायता करने की विद्यमान योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक जारी योजना के रूप में संचालित किया जाएगा।

5.6 एमएसई द्वारा प्राप्त "आपदा विश्लेषण और नाजुक नियंत्रण बिंदु" (एचएसीसीपी) प्रमाणन को कवर करने के लिए उपर्युक्त योजना का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाएगा।

5.7 प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण शमन में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता करने के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जाएगी।

6. विपणन सहायता

वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन एम सी पी) में एम एस ई के विपणन समर्थन से सम्बन्धित घटक शामिल होंगे। एनएमसीपी का कार्यान्वयन 2006-07 से किया जाएगा।

7. उद्यमिता एवं प्रबन्धकीय विकास के लिए सहायता

7.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, महिलाओं एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रति माह प्रति व्यक्ति 500 रू. के वजीफे के साथ कुल उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई डी पी) के 20 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.2 11वीं योजना की अवधि में लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, केटरिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी इत्यादि में 50,000 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

7.3 नए उद्यमियों के साथ-साथ विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए चयनित प्रबन्ध/व्यावसायिक विद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी।

7.4 1200 उद्यमिता क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्व-विद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी एक नई योजना तैयार की जाएगी।

7.5 संघों एवं राज्यों से परामर्श करने के पश्चात उद्योग/उद्यम संघों के क्षमता निर्माण, डाटाबेस एवं एडेवोकेसी के सुदृढ़ीकरण के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

7.6 सेवा/कारोबार क्षेत्र में माइक्रो एवं लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अध्ययन आयोजित किया जाएगा।

8. महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तीकरण

8.1 क्रेडिट गारंटी फण्ड योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे और/अथवा उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 80 प्रतिशत गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।

8.2 एस आई सी डी पी के अन्तर्गत केवल महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे/उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लॅस्टर विकास हेतु खर्चे के 90% तक की वित्तीय सहायता, जिसकी ऊपरी सीमा 9 करोड़ रूपए तक हो सकती है,प्रदान की जाएगी ।

8.3 महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना में एस आई सी डी पी के ज़रिए महिला उद्यमियों के संघों को सहायता दी जाएगी।

8.4 लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित उद्यमिता/प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों में महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में 50% की रियायत दी जाएगी।

8.5 महिला उद्यमियों द्वारा निर्यात की सुविधा के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) 11वीं योजना के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उन्हें 25 प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहयोग करेगा।

9. <u>प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) का सुदृढीकरण</u>

9.1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 मे शुरू की गई थी और यह शिक्षित युवाओं को जीवनक्षम सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उन्हें सहायता देकर स्व-रोज़गार अवसरों के सृजन के लिए एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड़ सब्सिडी योजना है। वर्ष 2005-06 के अंत तक इस योजना ने 38.09 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। तथापि, हाल ही की एक समीक्षा में इस ढंग के माध्यम से स्व-रोजगार के लिए उपायों की प्रभाविकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

9.2 पी एम आर वाई के डिजाइन मानदंडों में पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा, परियोजना लागत सीमा, सब्सिडी की तद्नरूपी सीमा, लाभार्थियों का चयन किए जाने से पूर्व एवं उसके पश्चात उनके प्रशिक्षण के लिए राज्यों की सहायता की दरों, इत्यादि, में समीक्षा के निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2007-08 से सुधार आएगा।

10. <u>एम एस एम ई क्षेत्र के लिए डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण</u>

10.1 एम एस एम ई क्षेत्र के लिए डाटा बेस के सुदृढीकरण के लिए इकाईयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि की दर, सकल घरेलू उत्पाद का भाग, उत्पादन के मूल्य, रूग्णता/बंद होने की सीमा तथा खादी इकाइयों, ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अन्य सभी संगत मानदंडों एवं कॅयर इकाइयों के बारे में वार्षिक नमूना सर्वेक्षण एवं पंच-वर्षीय गणना के माध्यम से सूचना एकत्र की जाएगी।

10.2 एम एस एम ई की पंच-वर्षीय गणना एवं वार्षिक नमूना सर्वेक्षणों में महिला स्वामित्व और/अथवा उनके प्रबन्ध वाले उद्यमों के संबंध में भी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

10.3 खादी एवं ग्रामोद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा विनिर्मित उत्पादनों/प्रदान की गई सेवाओं के निर्यात के नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक योजना भी तैयार व कार्यान्वित की जाएगी।